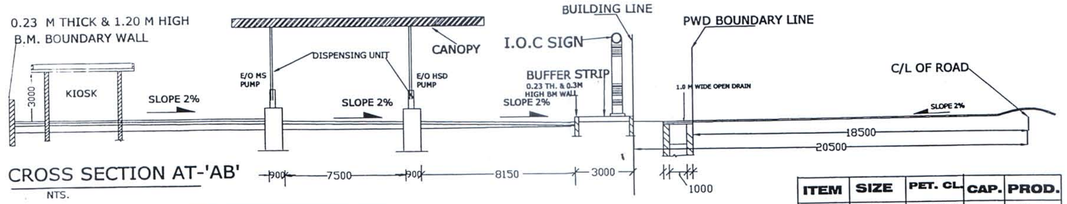

CROSS SECTION AT-'AB'

NTS.

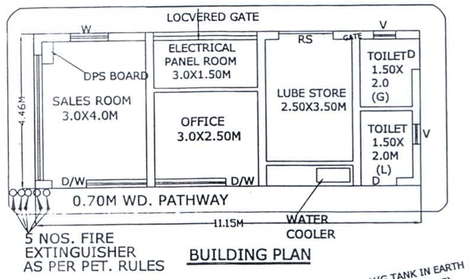

BUILDING PLAN

ITEM	SIZE	PET. CL	CAP.	PROD.
T1	2.10X6.25	CLASS 'A'	20 KL	MS
T2	2.10X6.25	CLASS 'B'	20 KL	HSD
DU1	4000X900	CLASS 'A	DUO	MS
DU2	4000X900	CLASS 'B'	DUO	HSD

NOTES:-

1. V= VENT PIPES 4 M HIGH AND 4.0 M CLEAR ALROUND END COVERED WITH 2 LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR CENTIMETRE.
2. F= FILL POINTS FITTED WITH CAM LOCK COUPLE IN AND AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
3. D= DIP PIPES WITH CAP ASSEMBLY.
4. ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE FLAME PROOF CONFORMING TO IS :2148.
5. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
6. NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 6 M OF THE U/G TANKS & D/U.
7. PREMISES TO BE USED FOR ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
8. TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LEAD PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
9. FABRICATION DESIGN OF UNDER GROUND STORAGE TANK ARE CONFORMING TO IS: 10987:1992 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO. G-40 (SC)/P/MISC. 94 DATED 24.02.99.
10. ALL DIMENSIONS ARE IN MM. UNLESS OTHERWISE NOTED.
11. S.B.- SAND BUCKET 10 NO'S AS PER EXPLOSIVE RULES.
12. F.E.- FIRE EXTINGUISHER-10 NO'S AS PER EXPLOSIVEULES.
13. TANK GIVEN HYDROULIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING AS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MENTIONED AT A CONTROLLED PRESSURE OF 0.36 KG/SQ.C.M. FOR 2 HOURS.
14. DIP ROD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 MM LONG INSTEAD OF STANDARD 2350 MM.
15. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATES AND END PLATE OF TANKS:
    20 KL SHELL- 6 MM
    END - 8 MM
6. TANKS CONFORMS TO 124, 125 & 131 OF THE PETROLEUM RULE - 2002.
17. ALL LIGHT POLES ARE FITTED AS PER APPROVAL OF C.C.. NAGPUR VIDE LETTER NO. PL-III(MBI) DATED:26.11.1963.
18. NATURAL DOWN SLOPE FROM THE EDGE OF METALLED ROAD TO CULVERT ON A[illegible] WILL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARD[illegible]
19. SITE MEETS APPLICABLE IRC [illegible]
20. EV = EXT[illegible]

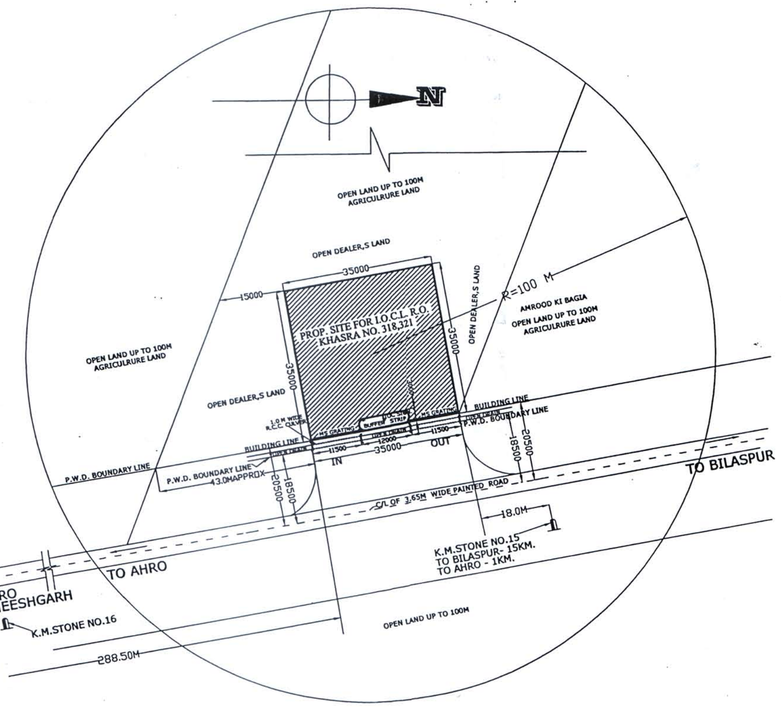

SITE/DRAINAGE PLAN

SCALE-1:800

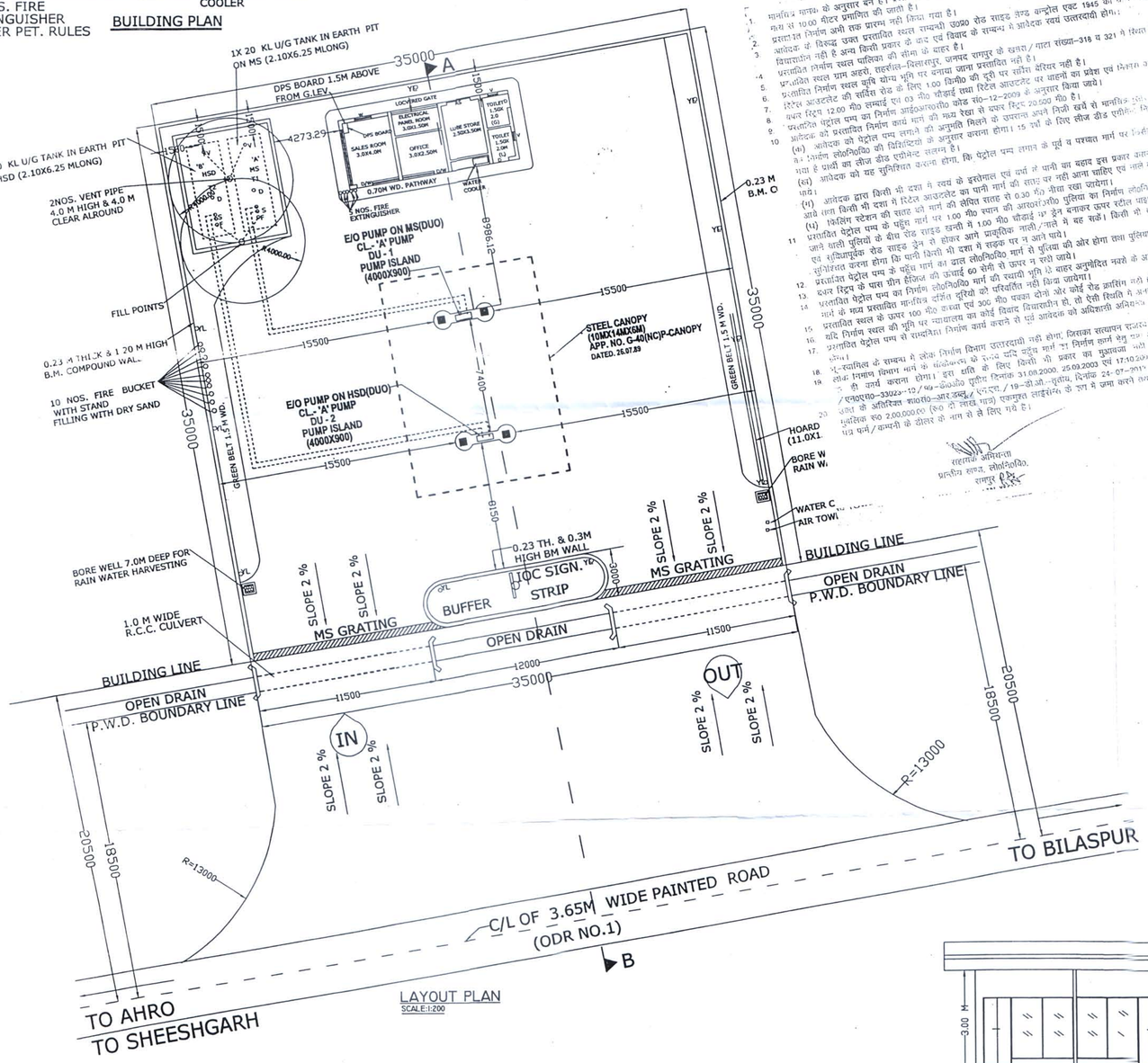

LAYOUT PLAN

SCALE-1:200

मानचित्र मानक के अनुसार बने है। प्रस्तावित निर्माण का कार्य जैसा कि मानचित्र में दर्शाया गया है के अनुसार ही कराना होगा। एवं मार्ग की सरहद भूमि सड़क के [illegible]
1. केवल 10.00 मीटर प्रमाणित की जाती है।
2. प्रस्तावित निर्माण अगले तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
3. आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साइड ड्रेन्ड बन्ड्रोस एक्ट 1945 की धारा-13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।
5. प्रस्तावित स्थल ग्राम अहरो, तहसील-बिलासपुर, जनपद रामपुर के खसरा/गाटा संख्या-318 व 321 में स्थित है।
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल कृषि भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
7. रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिए 1.00 किमी0 की दूरी पर साँस्कृतिक धरोहर नहीं है।
8. चयन रिट्रप 12.00 मी0 लम्बाई एवं 03 मी0 चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास अपने की चौड़ाई 23.50 मी0 (भा0मा0प्रा0 मी0) है।
9. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0-12-2009 के अनुसार किया जाये।
10. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य मार्ग की मध्य रेखा से प्रचार रिट्रप 20.500 मी0 है।
(अ) आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मानचित्र [illegible] मानचित्र लोकनिर्माण की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्ष के लिए लीज डीड एग्रीमेन्ट [illegible] पर वर्ष से प्राप्त कर लिया भवन है पम्पों का लीज डीड एग्रीमेन्ट कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध उत्पन्न न होने
(बा) आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध उत्पन्न न होने
(सी) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इसोमाल एवं वर्षा से पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आवे तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग की सतह पर नहीं आना चाहिए एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।
(द) किसिंग स्टेजन की सतह को मार्ग की सेफिस सतह से 0.30 मी0 नीचा रखा जायेगा।
(ई) प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 चौड़ाई का पुलिया का निर्माण लोकनिर्माण की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्माण की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइड ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द न किया जायेगा। साथ ही एक सुविधापूर्वक रोड साइड ड्रेन से पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पावे।
एवं सुविधापूर्वक करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0 13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
12. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पास ग्रीन बेल्ट की ऊंचाई 60 सेमी से ऊपर न रखी जाये।
13. रिटर्न रिट्रप के पास ग्रीन बेल्ट की स्थायी भूमि है बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये।
14. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लोकनिर्माण मार्ग की स्थायी भूमि से [illegible] नहीं होनी चाहिए।
15. प्रस्तावित स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो, तो ऐसी स्थिति में अन्यायिक प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
16. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर सम्पदेता निर्माण कार्य कराने से पूर्व आवेदक को अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोकनिर्माण मण्डल से [illegible] प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
17. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने से पूर्व आवेदक को अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोकनिर्माण मण्डल से [illegible] प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
18. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लोकनिर्माण मार्ग की स्थायी भूमि पर बिना अनुमति के नहीं किया जायेगा।
19. स्थल रिट्रप के पास ग्रीन बेल्ट की ऊंचाई 60 सेमी से ऊपर न रखी जाये।
20. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के निर्माण लोकनिर्माण मार्ग की स्थायी भूमि से बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये।
21. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, जिसका सत्यापन राजस्व विभाग से कराना आवश्यक होगा।
22. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने से पूर्व आवेदक को अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोकनिर्माण मण्डल से [illegible] प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
23. स्वस्तिक के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, जिसका सत्यापन राजस्व विभाग से कराना आवश्यक होगा।
24. लोक निर्माण विभाग मार्ग के संबंधकन्ध के उपरान्त यदि भविष्य मार्ग का निर्माण कार्य सेतु का [illegible] किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक [illegible] को अपना सहयोग [illegible] की वर्षा कराना होगा। इस शर्त के लिए [illegible] पूर्तिम दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2005 के प्रस्ताव-5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिए [illegible] / एन0एच0-33022-12/99-डी0ओ0 पूर्तिम दिनांक 24-07-2011 के प्रस्ताव-5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिए [illegible] / 19-डी.ओ.-पूर्तिम, दिनांक [illegible] के रूप में जमा करने तथा 5 प्रतिशत की मुकदमा रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) के अतिरिक्त [illegible] 2,00,000.00 (रू0 दो लाख मात्र) एकमुश्त साइडलेस के रूप में जमा करने तथा 5 प्रतिशत की मुकदमा [illegible] पेट्रोल पम्प/कम्पनी के डीलर के नाम से लिए गये है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि0,
रामपुर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि0,
रामपुर

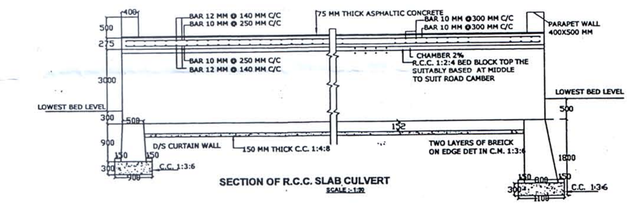

SECTION OF R.C.C. SLAB CULVERT

SCALE - 1:20

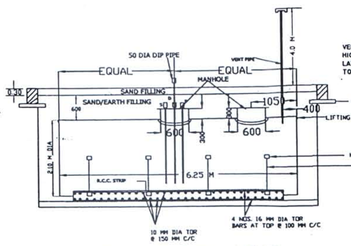

LONGITUDINAL SECTION OF TANK

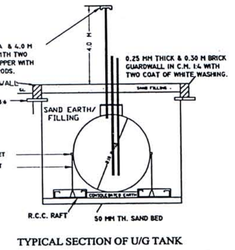

TYPICAL SECTION OF U/G TANK

FRONT ELEVATION

LOI NO.&DATE :-N/2016/IN0007721/UP./000073/1502/00017 21.12.2016	NAME OF LOCATION:- AHRO(AHRO - BILASPUR ROAD)	
LOI HOLDER:- SRI PRAMOD KUMAR S/O SHRI SHIV CHARAN LAL	TYPE OF RO:- NEW 'A' SITE KSK LICENCE NO.	
	INDIAN OIL CORPORATION LTD. (MARKETING DIVISION) (NORTHERN REGION)	
	BAREILLY DIVISIONAL OFFICE	
	PROPOSED LAYOUT & SITE PLAN FOR RETAIL OUTLET ON AHRO - BILASPUR ROAD AT.-KHASRA NO.-318,321 AT-VILL.-AHRO , TEH.- BILASPUR DISTT. - RAMPUR (U.P.) POLICE STATION.- KHAJURIYA RAILWAY STATION.-BILASPUR PIN CODE NO.244921	शील कृष्ण धवन/Sheel Krishan Dhawan वरिष्ठ प्रबंक (रिटेल सेल्स) Sr. Manager (Retail Sales) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एम. डी.) Indian Oil Corporation Limited (M.D.) 35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg बरेली-243001 (उ.प्र.)/Bareilly-243001 (U.P.)
		16.12.2016 / IOC/BLY/RG/RO/2016
		DATE / DRAWING NO.
DATE / BRIEF RECORD / INITIAL	SCALE :- AS SHOWN CHECKED BY ENGG OFFICER CHECKED BY DY. MGR(E) RECOMENDED BY APP. BY	PREPARED BY :- ARCHITECT GOPAL SHARMA VISHWANATH PURAM COLONY, BADAUN ROAD, BAREILLY 98370-28296,(0581)2435188
R I V I S I O N S		

SHAMSUZ ZAMAN
Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd.
Bareilly Division